सं07370/रा0एकी0-76-72 25/3/76

दिनांक लखनऊ दिसम्बर जनवरी 5, 1976

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष,
डिवीजनों के आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट
जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश और
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

विषयः- उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित हुये राज पत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या 1134/ इक्कीस -(1)(1)-75 दिनांक 31-5-75 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के निमित राज्यपाल महोदय राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति के स्थान से परीक्षा केन्द्र तक तथा वहाँ से तैनाती के स्थान तक वापस आने हेतु की गई यात्रा के लिये यात्रा भत्ता तथा अधिकतम 3 दिन तक के लिये दैनिक भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है। यह यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता राजपत्रित एंव अराजपत्रित अधिकारियों को उसी लेखा शीर्षक से दिया जायगा जिस लेखाशीर्षक से वे अपना वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करते है।

ये आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग - 4 की सहमति से जो उनके अ0शा0स0सं0 ई-4-2718/K दिनांक 23/12/76 सहमति से द्वारा प्राप्त की गई/ जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सबाहुद्दीन उमर)
उप सचिव।

सं0 7370(1)/रा0एकी0(क)-76-25/3/76

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग

2- ~~=मस्क्र=~~ वित्त (सामान्य -4 अनुभाग)

आज्ञा से,

(सबाहुद्दीन उमर)
उप सचिव ।

सं0 7370(2)/रा0एकी076-245 /3/76

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(सबाहुद्दीन उमर)
उप सचिव ।

आर्ली काल
10-12-76